

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-442 / 14

संस्थापित दिनांक-05.08.2014

Filling no-235103003272014

| |
|---|
| मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर(म.प्र.)।अभियोजन |
| विरुद्ध |
| सुरेश पुत्र थोवन पाल, आयु-31 साल, निवसी ग्राम नगावार थाना चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)।अभियुक्त |

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 25.01.2018 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323(2-बार), 324 एवं 506 बी भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 09.07.2014 को समय करीब 7:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम नागावर में भैयालाल अहिरवार के मकान के पास रोड पर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी कैलाश रैकवार को मां-बहिन की अश्लील गाली उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी कैलाश एवं प्रकाश को थप्पड़ों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं आहत कैलाश को धारदार हथियार कुल्हाडी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी कैलाश को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहत एवं अभियुक्त के मध्य दिनांक **25.01.2018** को राजीनामा हो जाने से आरोपी सुरेश को भा.द.वि की धारा 294, 323(2-बार) एवं 506 बी के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा यह निर्णय भा0द0वि0 की धारा 324 के संबंध में किया जा रहा है।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी कैलाश ने मय हमराह प्रकाश के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम नागावर का रहने वाला है तथा रेंज में मजदूरी करता है। दिनांक 09.07.2014 को सुबह करीब सात बजे वह अपने घर से रेंज की तरफ जा रहा था तो भैयालाल आदिवासी के घर के पास रोड पर सुरेश पाल बैलगाडी लेकर आ रहा था तो उसने उससे पूछा कि लकडी कहां से लाया है तो वह बोल कि तुझे क्या करना है तो उसने कहा कि मैं रेंज में मजदूरी करता हूँ तभी सुरेश ने उसे मां बहन की गाली देने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो उसने उसे कुल्हाडी मारी जो उसके दाहिने कंधे के पीछे

लगी खून निकल आया तथा उसने उसके बांये गाल में एक थप्पड़ भी मारा। उसे प्रकाश आदिवासी बचाने आया तो उसे भी उसने थप्पड़ें मारी तथा मौके पर लखन रैकवार आ गया जिसने घटना देखी। सुरेश बोला कि अगर रिपोर्ट की तो जान से मार दूंगा। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य एवं परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त ने बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

| | |
|----|--|
| 1. | क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.07.2014 को समय करीब 7:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम नागावर में भैयालाल अहिरवार के मकान के पास रोड पर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी/आहत कैलाश को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ? |
|----|--|

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। अभियोजन साक्षी कैलाश (अ.सा.-02) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि घटना उसके कथनों से करीब तीन पहले की होकर सुबह करीब सात बजे की है। वह अपने घर से रेंज की तरफ जा रहा था तथा सुरेश बैलगाड़ी लेकर आ रहा था। जब वह बैलगाड़ी के पास से गुजरा तो सुरेश उसके साथ गाली गलौच करने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो उसने मेरे साथ धक्का मुक्की कर दी थी जिससे बैलगाड़ी पर गिर जाने से उसे मामूली चोट आ गयी थी। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके साथ घटना के समय प्रकाश भी था। धक्का मुक्की में उसे भी मामूली चोट आ गयी थी। उक्त घटना के संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी पर रिपोर्ट लेख करायी थी जो प्रपी-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आयी थी तथा घटना स्थल का मानचित्र प्रपी-4 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी कैलाश अ.सा.02 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि सुरेश ने उसके दाहिने कंधे में कुल्हाड़ी मारी थी जिससे खून निकल आया था और थप्पड़ भी मारे थे। इस बात से भी इंकार किया कि प्रकाश ने उसे बचाया तो आरोपी ने उसे भी थप्पड़ों से मारा था। इस सुझाव से इंकार किया कि मौके पर लखन रैकवार आ गया था जिसने घटना

देखी है। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्रपी-3 एवं पुलिस कथन प्रपी-5 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसा कथन पुलिस को नहीं दिया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। फरियादी कैलाश ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसका आरोपी से स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी घोंस दबाव के राजीनामा हो गया है, इस बात से भी इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

08— प्रकाश अ0सा03 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि वह आरोपी सुरेश को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब तीन पहले की होकर सुबह करीब सात बजे की है। कैलाश उसके घर से जा रहा था और सुरेश बैलगाड़ी लेकर जा रहा था तो उसने देखा कि सुरेश और कैलाश के मध्य गाली गलौच हो रही थी। कैलाश ने गाली देने से मना किया तो आपसी धक्का मुक्की में कैलाश को बैलगाड़ी के टकराने से मामूली चोट आ गयी थी। बीच बचाव में उसे भी मामूली चोट आयी थी। उसके अलावा सुरेश ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। पुलिस ने उससे पूछताछ की और बयान लिये।

09— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी प्रकाश अ.सा. 03 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि सुरेश ने कैलाश के दाहिने कंधे में कुल्हाड़ी मारी थी जिससे खून निकल आया था और थप्पड़ भी मारे थे। उसने इस बात से भी इंकार किया कि सुरेश ने मुझे भी थप्पड़ों से मारा था तथा मौके पर लखन रैकवार आ गया था जिसने घटना देखी है। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रपी-6 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसा कथन पुलिस को नहीं दिया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता।

10— डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा01 ने उनके न्यायालयीन कथन में बताया कि उसको द्वारा दिनांक 09.07.14 को आहत कैलाश एवं प्रकाश का मेडीकल परीक्षण किया था, जिसमें उन्हें चोटें आयी थी। यद्यपि अभियोजन साक्षी डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ द्वारा उक्त साक्षीगण को चोट आना व्यक्त किया है, किन्तु स्वयं फरियादी कैलाश एवं आहत प्रकाश ने उक्त चोटें आरोप सुरेश द्वारा पहुंचायी जाने से स्पष्टतः इंकार कर उक्त चोटें आपसी धक्का मुक्की में आना व्यक्त किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा फरियादी कैलाश एवं आहत प्रकाश से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

11— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.07.2014 को समय करीब 7:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम नागावर में भैयालाल अहिरवार के मकान के पास रोड पर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी/आहत कैलाश को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त **सुरेश पुत्र थोवन पाल, आयु-31 साल, निवसी ग्राम**

नगावार थाना चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) को भा.द.वि. की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

12— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

13— प्रकरण में जप्तशुदा एक कुल्हाड़ी लकड़ी के बेंटे में लगी मुल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायलय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

14— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0